

राजस्व लोक अदालत  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढा

अपील संख्या 328/17

तारीख रजू- 15/09/2017

अपील पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी धीरोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर।  
—अपीलार्थी

बनाम  
सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय

दिनांक- 31.1.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा मिसल संख्या 471/13 में पारित निर्णय दिनांक 16/09/13 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम लहसोडा के आराजी खसरा नं० 252 रकबा 0.25 हे. किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से दण्डित किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थी आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोण्डेण्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तथ्यों को आधार मानकर उक्त अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मोके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्त का कोई कब्जा काशत नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त का पश्चावर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त का उक्त वाद-आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्त का उक्त वाद-आराजीयात पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है, जिसने किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

श्री महेन्द्र लोढा

15-1-19

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है। अदालत मातहत द्वारा सिविल कारावास की कठोर सजा का दण्ड पारित करने से पूर्व, खसरा परिवर्तनशील(पी.14) की प्रमाणित प्रति की रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पत्रावली में शामिल होना आवश्यक है जिससे अपीलार्थी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो सके जिसका इस प्रकरण में अभाव पाया जाता है। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बेदखली, शास्ति एवं फसल नीलामी को यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सिविल कारावास के बिन्दु पर पुनः 60 दिवस में विधिवत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.1.19 को राजस्व लोक अदालत में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( महेन्द्र लोढा )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर